



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoe@frolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./06/18/2017/एफ.सी. / 322

दिनांक: 18-9-17

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण),
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : जनपद फैजाबाद में फैजाबाद-इलाहाबाद रा० मा० संख्या-330 (पुराना एन०एच०-96) के किमी० 12.600 से किमी० 12.950 तक टोल प्लाजा की स्थापना हेतु 0.840 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 201 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:-मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-586/11सी/FP/UP/Road/19199/2016,
दिनांक- 30.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 08.03.2017 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ० प्र० के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने निर्देश हुआ है कि प्रकरण में प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल की गणना भाग-1 में दिये गये ले आउट प्लान की गणना के साथ मेल नहीं खाती है।

अतः ले आउट प्लान के अनुसार प्रस्तावित वन क्षेत्रफल की स्पष्ट गणना प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग फैजाबाद, उ० प्र०।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड (रा०मा०), लोक निर्माण विभाग, सुल्तानपुर, उ० प्र०।
4. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}